ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 86

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1873.53	...	1873.53	2227.24	...	2227.24	1900.00	...	1900.00	2251.24	...	2251.24
वसूलियां	-9.69	...	-9.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1863.84	...	1863.84	2227.24	...	2227.24	1900.00	...	1900.00	2251.24	...	2251.24
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	10.01	...	10.01	11.24	...	11.24	12.03	...	12.03	12.59	...	12.59
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम	68.10	...	68.10	150.00	...	150.00	50.00	...	50.00	238.65	...	238.65
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम												
3.01 कार्यक्रम घटक	1791.48	...	1791.48	1961.00	...	1961.00	1732.97	...	1732.97	2000.00	...	2000.00
	-9.69	...	-9.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*1781.79*	...	*1781.79*	*1961.00*	...	*1961.00*	*1732.97*	...	*1732.97*	*2000.00*	...	*2000.00*
3.02 इएपी घटक	3.94	...	3.94	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	...	...	...
जोड़- एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम	*1785.73*	...	*1785.73*	*2066.00*	...	*2066.00*	*1837.97*	...	*1837.97*	*2000.00*	...	*2000.00*
कुल जोड़	***1863.84***	***...***	***1863.84***	***2227.24***	***...***	***2227.24***	***1900.00***	***...***	***1900.00***	***2251.24***	***...***	***2251.24***
ख. विकास शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	5.18	...	5.18	38.00	...	38.00	34.41	...	34.41	33.96	...	33.96
2. भू सुधार	68.10	...	68.10	135.00	...	135.00	45.00	...	45.00	214.79	...	214.79
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	10.01	...	10.01	11.24	...	11.24	12.03	...	12.03	12.59	...	12.59
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**83.29**	**...**	**83.29**	**184.24**	**...**	**184.24**	**91.44**	**...**	**91.44**	**261.34**	**...**	**261.34**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	221.60	...	221.60	178.30	...	178.30	223.87	...	223.87
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1780.55	...	1780.55	1821.40	...	1821.40	1630.26	...	1630.26	1766.03	...	1766.03
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**1780.55**	**...**	**1780.55**	**2043.00**	**...**	**2043.00**	**1808.56**	**...**	**1808.56**	**1989.90**	**...**	**1989.90**
कुल जोड़	**1863.84**	**...**	**1863.84**	**2227.24**	**...**	**2227.24**	**1900.00**	**...**	**1900.00**	**2251.24**	**...**	**2251.24**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालयीय व्यय के लिए है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग का ध्यान, प्रयास और जोर यह है (क) डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में उचित समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए जो अन्य देशों के साथ-साथ भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी में सुधार करेगी, (ख) भूमि संसाधनों का उपयोग अनुकूलित करे, (ग) दोनों जमीन मालिकों और प्रॉस्पेक्टर्स, (घ) नीति और योजना में सहायता, (ङ) जमीन के विवादों को कम करने और (च) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन को जांचने और सभी उपलब्ध सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एकल-खिड़की एक-एक नजर प्रदान करते हैं , जमींदार, संबंधित अधिकारियों / एजेंसियों और इच्छुक व्यक्ति / उद्यमी आदि के लिए किसी भी भूखंड की उचित स्थिति देने के लिए प्रासंगिक जानकारी।

3. **एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग द्वारा आईडब्ल्यूएमपी का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसे वर्ष 2015-16 में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के रूप में समामेलित किया गया था। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान पूर्ववर्ती 28 राज्यों (अब 27 राज्यों और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों) में 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी, जिसमें लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। इस स्कीम के प्रारंभ होने से अब तक केन्द्रीय हिस्से के रूप में (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार) राज्यों को 18429.36 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 8214 संस्वीकृत परियोजनाओं में से, तैयारी चरण की 1487 परियोजनाओं को अपने-अपने राज्यों के बजट के अधीन लागू किए जाने के लिए राज्यों को हस्तांतरित किया गया था। भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्त-पोषित की जा रही शेष 6382 परियोजनाओं में से, इस समय 3036 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, 386 परियोजनाएं समेकन चरण में है और 2960 परियोजनाएं कार्य चरण में हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का अनुमोदन मार्च, 2020 तक है। तथापि, वर्ष 2013-14 में संस्वीकृत बैच-V की 459 परियोजनाओं और वर्ष 2014-15 में संस्वीकृत बैच-VI की 118 परियोजनाओं (कुल 577) की निश्चित अवधि क्रमशः मार्च, 2021 और मार्च, 2022 तक है। अतः इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2020 से आगे इस कार्यक्रम को जारी रखने की आवश्यकता है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की परियोजना अवधि को आगे बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और इस प्रयोजन के लिए 1418 करोड़ रुपए (2018 करोड़ रुपए के पूर्ववर्ती प्रस्ताव में से) के बारे में विचार किया गया है। इसके अलावा, यह विभाग नए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई स्कीम को प्रारंभ करने की प्रक्रिया में है,जिसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए (2018 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती प्रस्ताव में से) की राशि रखी गई है।